

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

21⁰⁵/₁₉ पक्षीय प्राचीनगण उप। वकील प्राचीनगण/
वादीगण उप। वकील वादीगण ने वादी नं० 1 का
और होना चाहिए करते हुए प्राचीनगण का आयमी
मुकामान पेश किया। प्राचीन-फर न्याय दिन में लीक
किया जा रहा है। वकील प्राचीनगण संशोधित शीर्षक
पेश किया जो शामिल फावली किया गया। वकील
वादीगण फावली पेश करते हुए अक्षर चाहते
हैं। अक्षर अनुमान किया जाकर फावली दिनांक
03/06/2019 को पेश हो।

03⁰⁶/₁₉ वकील प्राचीनगण उप। पक्षीय प्राचीनगण
ने फावली के मूल के संलग्न कुल किया
02 फावली पेश किया जो शामिल फावली
किया जा रहा है। अक्षर फावली दिनांक 24/06/19
को पेश हो।

24/6/19
फावली पेश हुई। वकुलाय फरिद
उप./अनुपस्थित। पीएसडी अधिकारी बंद
/अन्य कार्य में व्यस्त फावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 5/7/19
को पेश हो।

5/7/19
फावली पेश हुई। वकुलाय फरिद
उप./अनुपस्थित। पीएसडी अधिकारी बंद
/अन्य कार्य में व्यस्त फावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 12/7/19
को पेश हो।

12/7/19
फावली पेश हुई। वकील
प्राचीनगण/उभय पक्षकारान बंध
फावली अक्षर फावली दिनांक 14/7/19
को पेश हो।

16/7/19
फावली पेश हुई। वकील
प्राचीनगण/उभय पक्षकारान बंध
फावली अक्षर फावली दिनांक 22/7/19
को पेश हो।

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुकम

22/7/19

पत्रावली पेश हुई।
पत्रावली पेश हुई।
5/8/19

5/8/19

पत्रावली पेश हुई। 5/8/19 को पेश हुई।
गिराफ्त दिनांक 2-9-19 को पेश हुई।

2.9.19

पत्रावली पेश की में ली गयी। वल्लु हेतु पत्रावली 17.11.19 को पेश की।

17.11.19

पत्रावली वल्लु हेतु पेश हुई। वल्लु वादीगण सुनी गयी।
उत्तरवादीगण के विरुद्ध पूर्व में ही ex parte ली गयी है।
वादीगण द्वारा उत्तरवादीगण के नाम एवं भूमि की कब्जा कब्जा
के आदेश पर वल्लु वादीगण की खातेदार घोषित करने की
अनुमति नहीं है।
Adverse possession के आदेश पर खातेदारी घोषणा की
आधीकारिता इस न्यायालय की नहीं है।
शतः वाद वादीगण घोषणीय नहीं होने के कारण
खासियत किया जा रहा है। (डिक्री जारी हो)
निर्णय आज दि. 17.11.19 को खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

जु
खातेदारी
17/11/19

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ला दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकाम खण्डेला
बइजलास श्री रणजीत सिंह (आर.ए.एस)

(1) भूलीवेवी वेवा मोहन (2) कलाय (3) राजेन्द्र (4) हरिसिंह
(5) वदरी पुत्र सापता (6) भोगराम पुत्र धीतर पौत्र पूरण (7)
विष्णु पुत्र रामलाल पौत्र बनाम (8) कवानी पुत्र नाथू पौत्र गणपत

(1) नर्वदा वेवा सुवा पुत्र वधु सुल्ला
(2) रामेश्वर पुत्र सुवा पौत्र सुल्ला
दावा बाबत ...
मुकदमा नं० 145 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस व हाजिरी श्री ... एडवोकेट मिनजानिव मुद्ई रुबरु श्री ... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि Adverse possession के आधार पर खानेदारी दौखणा की आधिकारिता इस ... अतः वाद वादीगण पोषणी नही होने के कारण खारीज किया जाता है।

निज ... मुबलिंग ... वाबत ... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ... का अदा करें।

बसव्ल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ... माह ... सन ... को जारी की गई



दस्तखत
(रणजीत सिंह)
ओ. 20
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

मुद्ई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

- (6) कैशरी बेवा शूलचन्द्र पुरु वधु नाथ
 (7) कमलेश (8) प्रवण (9) रत्न पुरुगण शूलचन्द्र पौरुगण नाथ
 (10) प्रवरी बेवा रामनारायण पुरु वधु नाथ
 (11) निशान (12) मदन पुरुगण रामनारायण पौरुगण नाथ
 समस्त जाति मीणा निवासीगण होद तहसील खण्डेला जिला सीकर
 (प्रतिवाकगण)

3. फूली बेवा मोहन पुरु वधु सुका पौरु वधु गुल्ला

4. बाहुल

5. संपू

समस्त जाति मीणा निवासीगण दुल्लैपुरा तहसील खण्डेला

जिला सीकर (राजठ)

6. शांसेवत पुरु महादेव जाति महाजन निवासी होद

तहसील खण्डेला जिला सीकर (राजठ)

7. पखामी हल्ला दुल्लैपुरा

8. भूमिधारी, जसि तहसीलदारा खण्डेला (प्रतिवाकगण)



(राजप्रीत सिट्टे)
 उपखण्ड अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)